भारत छोड़ो आंदोलन: यथार्थ एवं भ्रांतियां

-प्रो.जुगल किशोर गुप्ता

9 अगस्त को भारत छोड़ो आन्दोलन की वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस आंदोलन को चलाने का श्रेय महात्मा गांधी और कांग्रेस को दिया जाता है। इस संबंध में कुछ यथार्थ तथा भ्रांतियां हैं जिन पर चर्चा करना प्रासांगिक होगा।

क्रिप्स मिशन की असफलता और ब्रिटिश सरकार के व्यवहार से निराश होकर गांधीजी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 'अहिंसक क्रांति' प्रारम्भ करने और 'भारत छोड़ो' आन्दोलन चलाने के पक्षपाती बन गए। उन्होंने वर्धा में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में 5 जुलाई 1942 को कहा 'वह समय आ गया है कि जब कांग्रेस को मांग बुलंद करनी चाहिए: 'अंग्रेजों भारत छोड़ो'। गांधीजी ने स्पष्ट किया कि अन्य आंदोलन की तरह यह आंदोलन भी अहिंसा के आधार पर होगा और हिंसा को छोड़कर बाकी सारे तरीके अपनाने की इजाजत होगी तथा 14 जुलाई को सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव पारित हो गया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने मीरा बेन (मिस स्लेड) को वाइसराय से मिलने और इस प्रस्ताव का उद्देश्य समझाने के लिये भेजा परन्तु वाइसराय ने यह कहकर मिलने से इन्कार कर दिया कि गांधीजी विद्रोह की बातें कर रहे हैं इसलिए मिलने का कोई तुक नहीं और साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि युद्ध के दौरान सरकार बगावत की कोई भी बात, हिंसक अथवा अहिंसक, सहन नहीं करेगी। इस पृष्ठभूमि में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन बम्बई में हुआ जिसमें 8 अगस्त 1942 को वर्किंग कमेटी द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव पारित हो गया, परंतु कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 13 सदस्यों ने इसके खिलाफ़ वोट दिया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 जुलाई 1942 को कांग्रेस के नाम खुले पत्र में लिखा था कि अब आप संघर्ष करेंगे वे चुपचाप आप लोग़ों को और हज़ारों कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर देंगे और पाखंड के साथ घोषणा करेंगे कि भारत को फ़ासीवादी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए यह उनका दुर्भाग्यपूर्ण कर्त्तव्य है। कांग्रेस नेताओं ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और वही हुआ जिसकी चेतावनी दी गई थी।

भारत छोड़ो प्रस्ताव में यह मांग की गई थी कि अंग्रेजों को तुरंत ही बिना शर्त के भारत छोड़ देना चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी न तो अंग्रेजों के युद्ध सम्बन्धी प्रयत्नों में बाधा डालने की इच्छा है और न ही वह किसी प्रकार से भी इंग्लैंड के शत्रुओं को प्रोत्साहन देना चाहती है। इस प्रस्ताव के अंतिम भाग में कहा गया था कि यह संघर्ष अवश्यमेव गांधीजी के नेतृत्व में चलेगा। कमेटी उनसे नेतृत्व करने तथा जो भी कदम उठाए जाएंगे उनमें राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करने का अनुरोध करती है। 'करो या मरो' का नारा बुलंद किया गया।

इस प्रकार भारत छोड़ों आदोलन चलाने के सब अधिकार गांधीजी को देते हुए उनको आंदोलन का जनरल सीमो बना दिया गया। इसके उपरांत गांधीजी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि वे अब वाइसराय को पत्र लिखेंगे और वाइसराय की अनुमति मिलने के बाद उनके साथ किए गए व्यवहार को जनता के लिए प्रकाशित करेंगे। उन्होंने सिपाहियों को सलाह दी कि वे सेना और अपने पदों को न छोड़ें तथा विद्यार्थियों को सलाह दी कि जब तक वे संघर्ष की रूपरेखा तैयार करें इस दौरान वे वापिस जाएं और अपने अध्ययन को जारी रखें। गांधीजी के भाषण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपना समापन भाषण देते हुए कहा कि वे अंतिम समय तक किसी समझौते पर पहुंचने का प्रयत्न करेंगे जिसके लिये वे अमेरिकी राष्ट्रपति, रूजवेल्ट, चीनी सरकार के अध्यक्ष च्यांग काई शेक तथा लंदन स्थित रूसी राजदूत को पत्र लिखेंगे। वे सरकार को लगभग तीन महीने का समय देने वाले थे। अगले दिन 9 अगस्त की सबेरे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मिटिंग होनी थी जिसमें गांधीजी ने उनकी वाइसराय से समझौते संबंधी प्रक्रिया के बारे में अपना दृष्टिकोण रखना था। परन्तु 9 अगस्त की प्रात: ही कांग्रेस नेताओं की गिरफ़्तारियां शुरू हो गई। प्रात: 4 बजे जब गांधीजी अपनी प्रार्थना के लिए उठे तब अफवाहें फैल रही थी कि कांग्रेस नेताओं की गिरफ़्तारियां होंगी। गांधीजी ने महादेव देसाई से कहा कि गत रात्रि को दिए गए उनके भाषण के बाद सरकार उनको गिरफ़्तार नहीं करेगी। प्रार्थना करने के बाद जब गांधीजी अपनी दिनचर्या सम्पन्न करने के लिए आगे बढे तो पुलिस कमिश्नर ने प्रात: पांच बजे ही गांधीजी को गिरफ़्तार कर लिया। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रेडियो से उक्त प्रस्ताव के बारे में अमेरिका को अवगत कराना था कि जिसके लिए आवश्यक प्रबन्ध करने हेतु सुबह ही टैक्नीशियन तो आया था परन्तु पुलिस ने आकर नेहरू को गिरफ़्तार कर लिया। मौलाना आज़ाद सुबह 4 बजे उठकर राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखने लग गए जिसके साथ अगस्त प्रस्ताव भेजना था। परन्तु पत्र पूरा होने से पहले ही पुलिस ने आज़ाद को गिरफ़्तार कर लिया। इसके अतिरिक्त जो सर्कुलर कांग्रेस कमेटियों के पास भेजने के लिए तैयार किया जा रहा था, उसमें लिखा था कि जब तक गांधीजी तय न करें तब तक कोई भी आन्दोलन शुरू नहीं किया जाना चाहिए और न कोई अन्य काम किया जाना चाहिए। हो सकता है कि वह कुछ दूसरी ही बात तय करें, तब आप बड़ी अनावश्यक गलती के लिए जिम्मेदार होंगे। तैयार हो जाओ, फ़ौरन संगठित हो जाओ, होशियार हो जाओ लेकिन कोई भी कार्यवाही मत करो। यह सर्कुलर पूरी तरह लिखे जाने से पहले ही गांधीजी, नेहरू, मौलाना आज़ाद के साथ-साथ सरदार पटेल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पट्टाभि सीतारमैय्या, आचार्य कृपलानी, गोविन्द वल्लभ पंत, डॉ. सैय्यद महमूद तथा अन्य कांग्रेसी नेता गिरफ़्तार कर लिए गए थे तथा कांग्रेस को गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। अपने नेताओं की गिरफ़्तारी का समाचार मिलते ही जनता ने बिना उनके नेतृत्व के मनचाहे तरीके से सरकार के खिलाफ़ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया।

गांधजी ने अपनी गिरफ़्तारी के 5 दिन बाद जेल से 14 अगस्त 1942 को पत्र लिखा था जो गांधीजी के 21 दिन का उपवास (फ़रवरी 1943) करने से पहले तक जनता के लिए प्रकाशित नहीं किया गया था। इस पत्र में गांधी ने लिखा था कि उनके द्वारा जन आंदोलन प्रारम्भ करने तक भारत सरकार को इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने यह भी लिखा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि कोई ठोस कार्यवाही करने से पहले वाइसराय को पत्र लिखने का उनका पक्का इरादा था। गांधीजी ने होम डिपार्टमेंट के नाम अपने 15 जुलाई 1943 के पत्र में उक्त सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने कोई भी आंदोलन शुरू नहीं किया। जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल और गोबिंद बल्लभ पंत ने कांग्रेस की तरफ़ से 21 सितम्बर 1945 को संयुक्त वक्तव में कहा कि कोई भी आन्दोलन कांग्रेस कमेटी या गांधीजी द्वारा औपचारिक रूप से प्रारम्भ नहीं किया गया था। इससे पहले गांधीजी ने 23 सितम्बर 1942 को वाइसराय को लिखा था कि लगता है कि कांग्रेस नेताओं की गिरफ़्तारी ने लोग़ों को गुस्से से इतना पागल बना दिया कि वे आत्मनियंत्रण खो बैठे और उन्हें लगता है कि जो भी तोड़-फोड़ हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है कांग्रेस नहीं। गांधीजी की ये बातें बिल्कुल सच थी। अगर सरकार ने कांगेस नेताओं को गिरफ़्तार न किया होता तो कम से कम तीन महीने तक अहिंसक सत्याग्रह/आन्दोलन भी न होता। लेकिन आश्चर्य की बात है कि तीन वर्ष तक कांग्रेस के शीर्ष नेता लिखित बयान देते रहे कि यह कांग्रेस का आन्दोलन नहीं था। परन्तु शिमला सम्मेलन के असफल होने तथा प्रांतीय विधानसभाओं के आगामी चुनावों (1945-46) के मद्देनज़र कांग्रेस नेताओं ने 1942 की इन्हीं घटनाओं को कांग्रेस का आन्दोलन तथा अगस्त क्रांति कहा।

स्पष्ट है कि 1942 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ़ जन आंदोलन तो हुआ जिसके लिए कुछ हद तक सरकार जिम्मेदार थी जिसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होते ही कांग्रेस नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया परन्तु प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधीजी तथा कांग्रेस अध्यक्ष आज़ाद द्वारा दिए गए भाषणों को जनता ने नज़र अंदाज कर दिया। एक बात तो स्पष्ट है कि भारत छोड़ो आन्दोलन गांधीजी अथवा कांग्रेस कमेटी द्वारा औपचारिक व अधिकारिक रूप से प्रारम्भ नहीं किया गया था।

अर्द्धशिक्षित शिक्षा मंत्री

स्मृति ईरानी के मानव संसाधन विकास मंत्री बनने पर उनकी शैक्षिक योग्यता को लेकर जों विवाद शुरू हुआ वह दिलचस्प है। हाल के वर्षों में शासक वर्गीय और मध्यमवर्गीय हलकों में पहली बार यह सुनने को मिला कि व्यक्ति की काम के लिये योग्यता देखी जानी चाहिए, शैक्षिक योग्यता अथवा शिक्षा की डिग्री नहीं।

जबसे मंडल आयोग के सिलसिले में विवाद शुरू हुआ तब से शिक्षा में योग्यता और शिक्षा के जरिये योग्यता सवर्ण मध्यम वर्ग का सबसे पसंदीदा तर्क रहा है। इसके अनुसार योग्य वह है जो बड़ी से बड़ी डिग्री ज्यादा से ज्यादा अंकों से हासिल कर सकता है। इसी आधार पर उन लोग़ों को हीन ठहराया जाता था जो यह हासिल नहीं कर पाते थे।

इसी सोच के तहत इस हिस्से में यह बात गहराई से पैठ गयी थी कि देश का बेड़ा इसलिये गर्क है कि अनपढ जाहिल नेता देश चला रहे है। यदि नेता खूब पढ़े-लिखे होते तो देश अच्छा चलता। पिछले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में तो यह बार-बार दोहराई गयी।

देश की आबादी का यही वह हिस्सा है जो मोदी और मोदी नीत भाजपा का सबसे उत्साही समर्थक था। तथाकथित सोशल मीडिया पर इसी ने मोदी के पक्ष में हवा बनाई।

मज़े की बात है कि हमेशा शोरगुल मचाने वाला हिस्सा इस मसले पर चुप है। वह प्रिय नायक द्वारा अपनी ही मान्यताओं की ऐसी-तैसी होती देख भी चुप है। शायद वह एक बड़ी खुशी के मौके पर खुद को छोटी-मोटी बातों से परेशान नहीं होने देना चाहता।

लेकिन तब भी कुछ लोग हैं जो मोदी की इस मंत्री का बचाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि, ''किसी व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता नहीं बल्कि काम की योग्यता देखी जानी चाहिए''। साथ ही वे यह भी कह रहे हैं कि, यह भी कह रहे हैं कि ''लोकतंत्र में कोई भी मंत्री बन सकता है। जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए''।

यह बड़ी अच्छी बात है कि व्यक्ति को उसके काम से परखने को प्रधान चीज बनाया जा रहा है। पर स्मृति ईरानी ने अपने जीवन काल में ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें शिक्षा मंत्री के उपयुक्त मान लिया जाये। देश के किसी व्यक्ति को यह नहीं पता कि उनके शिक्षा पर विचार क्या है? प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जो समस्याएं हैं उन पर उनकी विशेष समझदारी रही हो, यह किसी को नहीं पता। ऐसे में उन्हें कैसे

देश की आबादी का यही वह हिस्सा है जो मोदी और मोदी नीत भाजपा का सबसे उत्साही समर्थक था। तथाकथित सोशल मीडिया पर इसी ने मोदी के पक्ष में हवा बनाई।

परखा जाय? क्या बाद में उनके काम से? लेकिन तब योग्यता का मसला तो किनारे हो जाता है।

रही लोकतंत्र में किसी के भी मंत्री बनने की बात तो पूंजीवादी लोकतंत्र में कौन और कैसे मंत्री बनता है यह नीरा राडिया प्रकरण से स्पष्ट है। यहां जनता की भावनाओं का नहीं बल्कि पूंजीपतियों की भवनाओं का सम्मान किया जाता है। जनता ने वैसे भी चुनाव में उन्हें हराकर पहले ही अपनी राय दे दी है।

इन सबके बाद भी यह सवाल बचा रह जाता है कि मोदी ने इस महिला को यह मंत्रायलय क्यों सौंपा? क्या खूबियां देखी मोदी ने उसमें? कुछ लोग इसमें अपनी 'छोटी बहन' के प्रति मोदी का स्नेह देख रहे हैं तो कुछ अन्य और भी घटिया मंसूबे। पर एक बात तय है। यह मोदी की उस कार्यशैली का हिस्सा है जिसके तहत मोदी हर चीज़ पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं। यह उनके 'न्यूनतम सरकार, महत्तम प्रशासन' के नुस्खे का अहम हिस्सा है। मोदी असल में केवल एक मंत्री वाली सरकार चाहते हैं। ऐसा न होने की सूरत में वे इसे दूसरे तरीके से हासिल करते हैं। आखिर टीवी सीरियलों के जरिये लोकप्रियता हासिल करने वाला व्यक्ति मोदी के लिये क्या परेशानी खड़ी कर सकता है।

रही पूंजीपति वर्ग की बात तो शिक्षा के क्षेत्र में उसने अपना एजेण्डा अंबानी-बिरला रिपोर्ट इत्यादि के जरिये पहले ही सरकार को सौंप रखा है। अब बस जरूरत इस बात की है कि मोदी सरकार इसे लागू करे। अर्धशिक्षित शिक्षा मंत्री के लिए, इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। निजीकरण की ओर शिक्षा को और ज्यादा धकेलने के इस एजेण्डे के तहत वास्तव में करना तो पूंजीपतियों को ही है। सरकार को तो बस हस्तक्षेप न करने की नीति अपनानी है। हाथ पर हाथ धरे रखकर स्मृति ईरानी इसे बखूबी कर सकती है।

तुर्की-ब-तुर्की

अरूण जेटली

''हमारी पार्टी के माननीय सदस्य ने कल सदन में कहा था कि इस जन्म में तो स्विटजरलैंड से काला धन वापस लाया नहीं जा सकता। हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। साथ ही सभी को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि विदेशों से काला धन अवश्य वापस आयेगा।''

हमारा कहना है :

❑ काले धन को खत्म करने में वित्त मंत्री जेटली और मादी सरकार की दिलचस्पी का पता इस बात से ही लग जाता है कि सरकार बनने के दो माह बाद भी देश में आज तक एक भी काला रुपया पकड़ा नहीं जा सका है। जबकि सर्वविदित है कि देश के भीतर हर रोज़ सैंकड़ों-हज़ारों करोड़ रुपये का काला धन एन सरकार की नाक के नीचे पैदा हो रहा है।

❑ स्वयं भाजपा सांसद एवं मोदी के सबसे बड़े स्वयंभू समर्थक गिर्राज सिंह के घर से एक करोड़ की नकदी व भारी मात्रा में जेवरात चोरी होने के बाद पुलिस द्वारा चोरों से बरामद किये गये हैं। शुरू में गिर्राज ने पुलिस में लिखाई रिपोर्ट में मात्र दस हज़ार की चोरी बताई थी। जाहिर है यह सारा धन काली कमाई की पैदावार है। मगर जेटली के वित्त मन्त्रालय ने इस धन के स्रोतों का पता लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

❑ इसी तरह के उदाहरण हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला जब सीकर राजस्थान से भाजपाई प्रत्याशी और रामदेव के चेले (मस्तनाथ, स्थल बोहर, रोहतक संस्थान का सर्वेसर्वा) की रामदेव से सार्वजनिक मंच पर बातचीत भूलवश रिकार्ड हो गयी। इस बातचीत में रामदेव अपने चेले उम्मीदवार को चुनाव क्षेत्र में काला धन लाने के गुर बाद में सिखाने की बात करते पकड़ा गया है। चेले की समस्या यह थी कि चुनाव आयोग के अधिकारी उन गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं जिनमें काला धन लाये जाने का शक है। यह उम्मीदवार चुनाव जीत भी गया। क्या सरकार बनने के बाद मोदी और जेटली का यह कर्त्तव्य नहीं था कि इस उम्मीदवार से काले धन के बारे में व्यापक पूछताछ करवाते?

❑ जब इतने खुले मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही तो मोदी-जेटली से उद्योगपतियों और मुनाफ़ाखोरों और भ्रष्टाचारियों व टैक्स चोरों से काला धन निकालने की पहल की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने तो विदेशों से काला धन लाने के नाम पर एक विशेष जांच दल बना कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री करली है। यह जांच दल भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया है न कि इसमें मोदी सरकार की अपनी कोई इच्छा रही है।

❑ लिहाज़ा जेटलियों और मोदियों द्वारा अपने सांसदों का मुंह तो बंद कराया जा सकता है पर जो जनता काले धन के बोझ तले दबी हुई है वह इन्हें सबक सिखा कर इनका पाखंड नंगा करती रहेगी। जैसे कि अभी उत्तराखंड में हुआ है जहां विधानसभा उपचुनाव की तीनों सीटें भाजपा हार गयी।